जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/06/डी- 7043 दिनांक : 1.8.06

श्री रमेश चन्द मीणा
सचिव
मानव सेवा संस्थान, शोहरा सदन, बस स्टैण्ड
जमवारामगढ

विषय :- खातेदारी भूमि खसरा नं. 586/1447 रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा भूमि जमवारामगढ का भू-उपयोग उपान्तरण बाबत।

सन्दर्भ :- आपका पत्र दिनांक 18.07.2006

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि उपरोक्त भूमि का कृषि भूमि से अकृषि संस्थानिक उपयोग हेतु दिनांक 10.01.2006 को सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख)(3) का आदेश जारी किया जा चूका है। उक्त क्षेत्र मास्टर प्लान 2011 में इकोलोजिकल क्षेत्र होने के कारण संस्थानिक क्षेत्र घोषित करने की प्रकिया विचाराधीन है।

भवदीय,

1/8/06

उपायुक्त (जोन-12)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

208

जयपुर विकास प्राधिकरण

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - [illegible]

क्रमांक:एफ-( )जविप्रा./उपा.जोन-12/06/डी-10364 दिनांक : 24.11.08

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति एवं दिनांक 25.08.98 से प्रभावी मास्टर प्लान विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र में निम्नानुसार उपान्तरण का प्रस्ताव है :-

-: प्रस्तावित उपान्तरण :-

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नम्बर 586/1447 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा अथवा 5817.16 वर्गमीटर में से सड़क की भूमि 420 वर्गमीटर जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करते हुये शेष 5397.16 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था राजस्थान राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन तिथि से या किन्हीं दो राज्यस्तरीय समाचार-पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से, जो भी पहले हो, 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं।

अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 2.11.08 को जारी की गयी।